सत्यब्रत साहु, आई.ए.एस
संयुक्त सचिव

भारत सरकार
पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय
अ.शा. पत्र सं. डब्ल्यू-11011/06/2013-डब्ल्यूक्यू
दिनांक :- 02 फरवरी, 2015

प्रिय महोदया/महोदय

कृपया भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक पेयजल शुद्धिकरण संयंत्रों के कार्यान्वयन पर प्रचालात्मक दिशा-निर्देशों के जारी करने के संबंध में दिनांक 13.11.2014 का मेरे समसंख्यक पत्र का संदर्भ लें जिसमें यह कहा गया है कि ये दिशा-निर्देश वर्तमान एनआरडीडब्ल्यूपी के अभिन्न अंग हैं।

दिनांक 01.04.2014 की स्थिति के अनुसार आईएमआईएस पर दी गई सूचना के अनुसार देश में अत्यधिक आर्सेनिक, फ्लोराइड, भारी धातु, आविषालु पदार्थों, कीटनाशकों और उर्वरकों से प्रभावित लगभग 20,000 बसावटें हैं, जिनमें स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना अब तक बाकी है। अत: मंत्रालय ने इस मुद्दे को गंभीरता से लिया है और मार्च, 2017 से पहले चरणबद्ध तरीके से ऐसी सभी बसावटों में 8-10 एलपीसीडी स्वच्छ जल उपलब्ध कराने का निर्णय किया है। इसी संबंध में, हमने सभी राज्यों को वर्ष 2014-15 के लिए निर्धारित लक्ष्यों से भी अधिक संख्या में, खासकर जल गुणवत्ता प्रभावित बसावटों को, कवर करने को कहा था। वर्ष 2014-15 में 1386 गुणवत्ता प्रभावित बसावटों को पूर्ण रूप से कवर किया गया है (29.01.2015 तक) और मार्च, 2015 तक राज्यों को दिए गए लक्ष्यों के अनुसार 4000 गुणवत्ता प्रभावित बसावटों को पूर्ण रूप से कवर किया जाएगा।

मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि वर्ष 2014-15 के लिए निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के मामले में निजी रूप से ध्यान दें।

सादर,

भवदीय

(सत्यब्रत साहु)

प्रतिलिपि : ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम के प्रभारी सभी प्रधान सचिव/सचिव।